सहायक कलक्टर (SDO) शिव

8/3/17 पत्रावली पेश हुई।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित।

वादीगण के वाद का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई है जो स्व0 मुलाराम के पुत्र है तथा इनके संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी के खेत तह गडरारोड़ के ग्राम हाफीया में खसरा नम्बर 2765 रकबा 118.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 2725, 2736, 2748 रकबा 61.01, 60.00, 35.12 बीघा कुल रकबा 156.13 बीघा व खेत खसरा नम्बर 2771 रकबा 46.03 बीघा तथा ग्राम समन्द का पार के खेत खसरा नम्बर 2580, 2664, रकबा क्रमशः 34.12, 68.00 बीघा, कुल रकबा 102.12 बीघा के आये हुए है। यह आराजी वादीगण की पैतृक है, जो वादीगण के पिता को विरासत मे प्राप्त हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 मुकदमा हिन्दू विधि से शासित है। अतः इस पैतृक जोत में वादीगण के अधिकार भी जन्म के समय से ही इस आराजी में पैदा हो चुके है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 को यह आराजी विरासत मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के फोत होने पर जरिये नामान्तकरण राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई है। जबकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई है तथा अपने पिता की फोतगी पर तीनों भाईयों को उक्त वादग्रस्त आराजी प्राप्त हुई, किन्तु फोतगी का नामान्तकरण वादी अकेले के नाम से खोला जाकर स्वीकृत हुआ है। जबकि वादग्रस्त आराजी मे वादीगण भी प्रथम वर्ग के वारिसान होने से प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 1/3– 1/3 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी होने से उक्त वाद खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 मय वकील श्री देवीलाल कुमावत उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 की और से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया है। अतः वाद मे तनकियात कायम करने की आवश्यकता नही है। वादीगण ने साक्ष्य स्वरूप अपना ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात प्रदर्श करवाये। प्रतिवादी संख्या 1 ने भी अपना ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उभय पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है जिसमें प्रत्येक वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बह हिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी में घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी

वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस मे वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई है जो स्व0 मुलाराम के पुत्र है तथा इनके संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी के खेत तह गडरारोड़ के ग्राम हाफीया में खसरा नम्बर 2765 रकबा 118.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 2725, 2736, 2748 रकबा 61.01, 60.00, 35.12 बीघा कुल रकबा 156.13 बीघा व खेत खसरा नम्बर 2771 रकबा 46.03 बीघा तथा ग्राम समन्द का पार के खेत खसरा नम्बर 2580, 2664, रकबा क्रमशः 34.12, 68.00 बीघा, कुल रकबा 102.12 बीघा के आये हुए है। यह आराजी वादीगण की पैतृक है, जो वादीगण के पिता को विरासत मे प्राप्त हुई

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

संख्या

है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दू विधि से शासित है। अतः इस पैतृक जोत में वादीगण के अधिकार भी जन्म के समय से ही इस आराजी में पैदा हो चुके है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 को यह आराजी विरासत मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के फोत होने पर जरिये नामान्तकरण राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई है। जबकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई है तथा अपने पिता की फोतगी पर तीनों भाईयों को उक्त वादग्रस्त आराजी प्राप्त हुई, किन्तु फोतगी का नामान्तकरण वादी अकेले के नाम से खोला जाकर स्वीकृत हुआ है। जबकि वादग्रस्त आराजी मे वादीगण भी प्रथम वर्ग के वारिसान होने से प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 1/3–1/3 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी होने से उक्त वाद खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया है। इस वाद मे उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रत्येक वादी का खातेदारी हिस्सा 1/3–1/3 घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/3 निश्चित किया जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे वादीगण के वाद को स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है।

हमने दोनो पक्षों की बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के साथ नामान्तकरण संख्या 542, 543, 544 मौजा रोहिडी तह0 शिव (वर्तमान तह0 गडरारोड़) की प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की होने एवं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के फोत होने पर विरासत मे प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज हुई है। वादी अधिवक्ता द्वारा वक्त सैटलमेन्ट की जमाबंदी प्रस्तुत की है जिसमे स्व0 मुला के नाम से दर्ज है अतः वादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी सम्पति साबित होती है। ग्राम पंचायत बिजावल द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र से स्व0 मुलाराम के जायन्दा पुत्रोंः– वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के होने की पुष्टि होती है। वादीगण स्व0 मुलाराम के फौतीगी पर खोले गये नामान्तकरण मे उनके पुत्र होने से प्रथम वर्ग के वारिसान है,। उभय पक्ष ने भी अपने राजीनामे मे इस तथ्य को स्वीकार किया है।

नेनाराम

अरजनराम

वीरमाराम

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के खेत तह गडरारोड़ के ग्राम हाफीया में खसरा नम्बर 2765 रकबा 118.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 2725, 2736, 2748 रकबा 61.01, 60.00, 35.12 बीघा कुल रकबा 156.13 बीघा व खेत खसरा नम्बर 2771 रकबा 46.03 बीघा तथा ग्राम समन्द का पार के खेत खसरा नम्बर 2580, 2664, रकबा क्रमशः 34.12, 68.00 बीघा, कुल रकबा 102.12 बीघा भूमि मे वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का सह खातेदार घोषित किया जाता है। अर्थात स्व0 मूलाराम के हिस्से में जो कि वर्तमान मे केवल विरमाराम के नाम दर्ज है, उस आंशिक हिस्से में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहहिस्सा बराबर 1/3–1/3 का सह खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार ~~शिव~~ गडरारोड को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमलदामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

निर्णय आज दिनांक ....8/9/17............ को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हों

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

अन्तिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

वादी :–1. रूगाराम, 2. अरजनराम पि0 मुलाराम, जाति– मेगवाल, नि0 हाफिया, तह0 गडरारोड़

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. वीरमाराम पुत्र मुलाराम, जाति– मेगवाल, नि0 हाफिया, तह0 गडरारोड़
2. तहसीलदार गडरारोड़

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्रसिंह सियाग एडवोकेट– वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 01 पैराकार उप0।

अन्तिम डिकी

वादी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 5/9/17 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के खेत तह गडरारोड़ के ग्राम हाफीया में खसरा नम्बर 2765 रकबा 118.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 2725, 2736, 2748 रकबा 61.01, 60.00, 35.12 बीघा कुल रकबा 156.13 बीघा व खेत खसरा नम्बर 2771 रकबा 46.03 बीघा तथा ग्राम समन्द का पार के खेत खसरा नम्बर 2580, 2664, रकबा क्रमशः 34.12, 68.00 बीघा, कुल रकबा 102.12 बीघा भूमि मे वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का सह खातेदार घोषित किया जाता है। अर्थात स्व0 मूलाराम के हिस्से में जो कि वर्तमान मे केवल विरमाराम के नाम दर्ज है, उस आंषिक हिस्से में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहहिस्सा बराबर 1/3–1/3 का सह खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार ~~शिव~~ गडरारोड को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 5/9/17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 15:41:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: